न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–51 / 2024

प्रार्थी:–

फकीर खां पुत्र सुलेमान खां जाति मोयला (मुसलमान) निवासी ग्राम कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. मोहम्मद बिलाल पुत्र निसार खां जाति मुसलमान निवासी गौर का चौक,बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
2. शेर मोहम्मद पुत्र निसार खां जाति मुसलमान निवासी गौर का चौक, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

1. श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता विप्रार्थी सं.2

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11.03.25

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 692 रकबा 3.1323 हैक्टेयर ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड,बैंक पासबुक,राशनकार्ड,मतदाता परिचय पत्र आदि में उसका वास्तविक नाम ''फकीर खां पुत्र सुलेमान खां'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''मिठे खां पुत्र सुलेमान खां''लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई विप्रार्थी संख्या 2 के ओर से वकील कैलाशपुरी उपस्थित। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/9161 दिनांक 02.25 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:45 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के नाम दुरूस्त किया जाने बाबत मौखिक सहमति जाहिर की गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''फकीर खां पुत्र सुलेमान खां ''है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 692 रकबा 3.1323 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम ''मिठे खां पुत्र सुलेमान खां'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी के स्वंय के बयान कलमबद्व करवाये।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के जन आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''फकीर खां पुत्र सुलेमान खां'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम ''मिठे खां पुत्र सुलेमान खां'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''फकीर खां पुत्र सुलेमान खां'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है तथा उक्त त्रुटि को दुरूस्त किये जाने बाबत् विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मौखिक सहमति भी जाहिर की गई है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 692 रकबा 3.1323 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''मिठे खां पुत्र सलेमान खां'' के स्थान पर '' फकीर खां पुत्र सुलेमान खां'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज़ दिनांक 11.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:45 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)